



(☎ 022-22862703)

ई-मेल/e-mail-[irw@dae.gov.in](mailto:irw@dae.gov.in)

फैक्स/Fax No. - 2204 8476 &  
2282 4354

भारत सरकार  
**GOVERNMENT OF INDIA**  
परमाणु ऊर्जा विभाग  
**DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY**  
औ. सं. एवं क. अनुभाग  
**IR&W SECTION**

अणुशक्ति भवन  
Anushakti Bhavan,  
छ. शि. म. मार्ग  
C.S.M. Marg,  
मुंबई/Mumbai - 400001

No. 7/3/2017/IR&W(Vol.II) /6591

May 24, 2018

**कार्यालय ज्ञापन OFFICE MEMORANDUM**

विषय : सेवानिवृत्त कर्मचारियों के संबंध में सीएचएसएस के तहत हॉस्पिटल में भर्ती की पात्रता का पुनः वर्गीकरण

**Sub : Re-classification of entitlement of hospital accommodation under CHSS in respect of retired employees**

सेवानिवृत्त कर्मचारियों के मामले में सीएचएसएस के तहत हॉस्पिटल में भर्ती की पात्रता के पुनः वर्गीकरण से संबंधित मामला विभाग में काफी समय से विचाराधीन रहा है। इस विभाग में पऊवि के 26 मार्च, 2010 के कार्यालय ज्ञापन सं. 7/8/2009/आईआरएण्डडब्ल्यू/39 के द्वारा अधिसूचित पुनःवर्गीकरण के संबंध में शिकायतें भी प्राप्त हुई हैं।

The issue regarding re-classification of entitlement of hospital accommodation under CHSS in respect of retired employees has been under consideration in the Department for long. Reference have also been received in the Department expressing grievance with respect to the re-classification notified vide DAE OM No.7/8/2009/IR&W/39 dated March 26, 2010.

2. इस विभाग में उपयुक्त रूप से विचार करने के बाद, यह स्पष्ट किया जाता है कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए विभाग में सेवानिवृत्ति से पूर्व उनके द्वारा धारित पद का वेतन हॉस्पिटल में भर्ती की पात्रता निर्धारित करने के लिए आधार होगा और उनकी पात्रता सीएचएसएस योजना, 1998 के पैरा 2.1.10(viii) में उल्लेख किए गए अनुसार सेवानिवृत्ति की तारीख ही रहेगी।

After due deliberations in the Department, it is clarified that for the retired employees the pay of the post held by them prior to retirement in the Department will be the basis for determining entitlement for hospitalization and their entitlement will be the same as on the date of retirement, as mentioned in pare 2.1.10 (viii) of CHSS Scheme 1998.

3. इसे पऊवि के 26 मार्च, 2010 के का.ज्ञा. सं. 7/8/2009/आई आरएण्डडब्ल्यू/39 और 21 जुलाई, 2017 के का.ज्ञा. सं 7/16/2016/ आईआरएण्डडब्ल्यू /9795 में निहित विभाग के सेवानिवृत्त कर्मचारियों हेतु हॉस्पिटल में भर्ती की पात्रता से संबंधित प्रावधानों के अधिक्रमण में जारी किया जाता है।

This issues in supersession to provisions related to entitlement of hospital accommodation for retired employees of the Department, contained in DAE OM Nos.7/8/2009/IR&W/39 dated March 26, 2010 and 7/16/2016/IR&W/9795 dated July 21, 2017.

इसे सचिव,पऊवि के अनुमोदन से जारी किया जाता है ।

This is issued with the approval of Secretary, DAE.



(राकेश गर्ग Rakesh Garg)

निदेशक (आईआरएण्डडब्ल्यू) Director (IR&W)

सीएचएसएस का नियंत्रण करने वाले सभी प्राधिकारी All CHSS Administering Authorities:

- (1) निदेशक, बीएआरसी, मुंबई Director, BARC, Mumbai
- (2) निदेशक, आईजीकार, कल्पाक्कम Director, IGCAR, Kalpakkam
- (3) निदेशक, जीएसओ, कल्पाक्कम Director, GSO, Kalpakkam
- (4) मुख्य कार्यकारी, भापाबो, मुंबई Chief Executive, HWB, Mumbai
- (5) मुख्य कार्यकारी, एनएफसी, हैदराबाद Chief Executive, NFC, Hyderabad
- (6) स्टेशन निदेशक, आरएपीएस, कोटा Station Director, RAPS, Kota
- (7) स्टेशन निदेशक, टीएपीएस, तारापुर Station Director, TAPS, Tarapur
- (8) निदेशक, एएमडी, हैदराबाद Director, AMD
- (9) निदेशक, आरआरकैट, इंदौर Director, RRCAT
- (10) निदेशक, वीईसीसी, कोलकाता Director, VECC
- (11) निदेशक (एचआर), एनपीसीआईएल, मुंबई Director (HR), NPCIL
- (12) प्रमुख, चिकित्सा प्रभाग, बीएआरसी Head, Medical Division, BARC
- (13) मुख्य चिकित्सा अधिकारी, पऊवि अस्पताल, कल्पाक्कम  
Chief Medical Officer, DAE Hospital Kalpakkam

प्रतिलिपि Copy to :

- (1) इकाइयों के सभी प्रमुख All Heads of Units
- (2) इकाइयों के सभी प्रशासनिक प्रमुख All Administrative Heads of Units
- (3) अध्यक्ष, पऊआ तथा सचिव, पऊवि का कार्यालय O/o Chairman, AEC & Secretary, DAE
- (4) अपर सचिव के निजी सचिव, पऊवि PS to AS,DAE
- (5) निदेशक, आईएमएससी Director, I.M.Sc.
- (6) प्रशासनिक अधिकारी, बीएआरसी अस्पताल, बीएआरसी AO-III, BARC Hospital, BARC
- (7) सचिव, कर्मचारी पक्ष, विभागीय परिषद Secretary, Staff Side, DC
- (8) महासचिव, एनएफएईई General Secretary, NFAEE
- (9) सहायक निदेशक (राजभाषा) पऊवि Asst .Director(OL) ,DAE